कार्यालय आयुक्त / पदेन सचिव
छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण, आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति (छत्तीसगढ़ शासन, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अधीन गठित)
ब्लाक–डी, भूतल, इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर, दूरभाष–0771-2263708,

Office of the Commissioner/Ex Officio Secretary,
Chhattisgarh State Level Tribal Welfare, Residential and Ashram Educational Institutions Committee. (Constituted under Government Of Chhattisgarh, ST & SC Development Department)
Block-D, Ground Floor, Indrawati Bhawan, Atal Nagar, Nawa Raipur, Phone No- 0771-2263708,
https://eklavya.cg.nic.in Email-eklavya.ctd@gmail.com

क्रमांक / EMRS / 411–पार्ट / 2023–24 / 12062 नवा रायपुर दिनांक 10/02/2024

ESSE-2023 अंतर्गत चयनित अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन के संबंध में सूचना।

भारत सरकार, जनजातीय कार्य मंत्रालय अंतर्गत राष्ट्रीय आदिवासी शिक्षण समिति (**NESTS**) द्वारा दिये गये निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राजय के **PGT** (बायोलॉजी), **PGT** (इतिहास) एवं **TGT** (लाईब्रेरियन) हेतु दस्तावेज सत्यापन कार्य हेतु सूचना पत्र जारी किया गया है। जो कि वेबसाईट **https://eklavya.cg.nic.in** पर अवलोकन किया जा सकता है। दस्तावेज सत्यापन के संबंध में निम्नांकित स्पष्ट किया जाता है :–

(1) ESSE-2023 द्वारा जारी विज्ञापन की शर्तो एवं उसमें उल्लेखित दस्तावेजों का होना अनिवार्य है।

(2) बहुत से अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन के समय डिग्री प्रस्तुत नही कर पाये हैं, केवल मार्कशीट उपलब्ध करा रहे हैं। अतः सूचित किया जाता है कि सत्यापन के समय संबंधित डिग्री / सर्टीफिकेट को प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। यदि दस्तावेज सत्यापन के समय डिग्री उपलब्ध नही करा पाते हैं तो उन्हें 15 दिवस में डिग्री उपलब्ध कराने हेतु एक अण्डरटेकिंग फॉर्म प्रस्तुत करना होगा। डिग्री प्राप्त होने पर नोडल अधिकारी सत्यापन समिति, कार्यालय आदिम जाति अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान नया रायपुर (छ.ग.) में निर्धारित समय में उपस्थित होकर ओरिजिनल डिग्री का सत्यापन कराना अनिवार्य होगा।

(3) जाति प्रमाण पत्र के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि, दस्तावेज सत्यापन के संबंध में विज्ञापन में प्रकाशित केन्द्र सरकार के फॉर्मेट अनुसार ही सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र मान्य किया जाएगा अर्थात् संबंधित राज्य में जिसे प्राधिकृत अधिकारी घोषित किया गया हो तथा विज्ञापन प्रारूप में जिस अधिकारी का पद लिखा है वह मान्य होगा।

इसके अतिरिक्त विज्ञापन में उल्लेखित Cut of Date तक जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिस प्रमाण पत्र के आधार पर उस जाति वर्ग अंतर्गत आवेदन किया गया था।

(4) जिस पद के लिए सत्यापन की कार्यवाही हो चुकी है और यदि वैध एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र (Degree/Caste Certificate/NOC etc.) दस्तावेज सत्यापन समिति के समक्ष पूर्व से प्रस्तुत कर सत्यापन करा लिया गया है और किन्हीं कारणों से अंडरटेकिंग ले लिया गया है तो अंडरटेकिंग स्वमेव निरस्त हो जाएगा।

क्रमशः...2

Scanned with CamScanner

(5) जो अभ्यर्थी ट्रेन से रायपुर आते हैं, वे निम्नानुसार डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्थल तक पहुँच सकते हैं:–

- रायपुर रेल्वे स्टेशन पर ही बीआरटीएस बस सुविधा उपलब्ध है जो कि वातानुकूलित (Air Conditoned) हैं। वहाँ से उपरवारा तक ही टिकट प्राप्त करें। उपरवारा बस टर्मिनल से लगभग 0.5 कि.मी. पर IIIT (Indian Institute of Information Technology) स्थित है। IIIT के बगल में ही डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्थल – Tribal Research and Training Institute (TRTI) स्थित है। फ्लाईट से आने वाले अभ्यर्थियों के लिये कैब या टैक्सी ही विकल्प है। स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से TRTI की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है।
- डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्थल गूगल मैप में ढूंढने के लिये टाईप करें – Tribal Research and Training Institute, Sector 24 Nava Raipur ।

(6) डाक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिये आने वाले अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक अभिलेखों सहित अन्य अभिलेखों की स्व प्रमाणित छायाप्रति केवल एक सेट में प्रस्तुत करना है।

(7) अभ्यर्थी सुनिश्चित करें कि बॉयोडाटा फार्म में चस्पा की गई फोटो वही हो जो उन्होनें आवेदन करते समय अपलोड की थी। बॉयोडाटा में चस्पा किए गए फोटो पर क्रास हस्ताक्षर किया जावे, अभ्यर्थी के बॉयोमैट्रिक स्केनिंग से मिलान न होने पर दस्तावेजों का सत्यापन नहीं किया जावेगा।

(8) बॉयोडाटा में दर्शित पता वही हो जो आवेदन करते वक्त लिखा था तथा उसके समर्थन में कोई मान्य अभिलेख (विज्ञापन अनुसार) अवश्य प्रस्तुत करें।

(9) जिन अभ्यर्थियों ने नियमित विश्वविद्यालय, दूरस्थ शिक्षा (Distance Education) या मुक्त विश्वविद्यालय (Open University) के द्वारा संबंधित विषय में डिग्री अर्जित की हो, वे सुनिश्चित करें कि वह यूनिवर्सिटी संबंधित पाठ्यक्रम में डिग्री प्रदान करने हेतु उस शैक्षणिक वर्ष में UGC से मान्यता प्राप्त है या नही।

(10) यदि किसी अभ्यर्थी का 02 विभिन्न पदों पर चयन हुआ किंतु दस्तावेज सत्यापन भिन्न–भिन्न स्थलों पर एक ही तारीख पर दस्तावेजों का सत्यापन किया जाना है ऐसी स्थिति में वह अभ्यर्थी NESTS, New Delhi Office से संपर्क करें।

(11) अन्य संकटकालीन स्थिति जैसे– गंभीर स्वास्थ्य, दुर्घटना आदि के कारण दस्तावेज सत्यापन स्थल पर उपस्थित नही हो पा रहा है तो अभ्यर्थी NESTS, New Delhi Office से संपर्क करें।

(प्रज्ञान सेठ)
नोडल अधिकारी
छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण,
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति,
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

पृ.क्रमांक/EMRS/411–पार्ट/2023–24/12063 नवा रायपुर दिनांक 10/02/2024

प्रतिलिपि :–

1. **आयुक्त,** भारत सरकार, राष्ट्रीय आदिवासी छात्र शिक्षा समिति (NESTS) जीवन तारा भवन, संसद मार्ग नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. **वरिष्ठ तकनीकी निदेशक,** NIC, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ प्रेषित कर लेख है कि कृपया छत्तीसगढ़ एकलव्य विद्यालय हेतु निर्धारित पोर्टल पर अपलोड़ करने का कष्ट करें।

नोडल अधिकारी
छत्तीसगढ़ राज्य स्तरीय आदिम जाति कल्याण,
आवासीय एवं आश्रम शैक्षणिक संस्थान समिति,
अटल नगर, नवा रायपुर (छ.ग.)

Scanned with CamScanner